भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 51
22.07.2024 को उत्तर के लिए

वनों की आग की रोकथाम

51. श्रीमती स्मिता उदय वाघ :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश भर में विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के वनों में आग से निपटने और उसे नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार द्वारा उद्यमशीलता द्वारा जनभागीदारी के माध्यम से आग की रोकथाम के लिए कोई योजना बनाई गई है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जंगल की आग के संपर्क में आने वाले अग्रिम पंक्ति के कामगारों को डिजाइन किए गए उपकरण उपलब्ध कराने पर कोई विचार किया जा रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्रियान्वित की जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) नामत: 'वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके वनाग्नि के निवारण और नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करता है।

इसके अलावा, वनाग्नि का समय से पता लगाने और उसकी निगरानी के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन नामत: भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने एक उपग्रह आधारित 'वनाग्नि निगरानी और चेतावनी प्रणाली' संस्थापित की है। वनाग्नि की चेतावनियां, पंजीकृत प्रयोक्ताओं को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं।

इसके अलावा, देश में वनाग्नि की घटनाओं की निगरानी के लिए इस मंत्रालय में एक 24×7 आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

राज्य वन विभाग, महाराष्ट्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पूरे राज्य में वनाग्नि के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

क. वनाग्नि जोखिमों और घटनाओं के प्रति कार्रवाई करने के लिए वनाग्नि प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं।

ख. वनाग्नि पूर्व के मौसम के दौरान फायर लाइनों के सृजन एवं रखरखाव, संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास अतिरिक्त घास को हटाने, अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव आदि जैसे प्रारंभिक कार्यकलाप किए जाते हैं।

ग. निरंतर चौकसी रखने के लिए फायर वाचर्स की नियुक्ति, नियमित गश्त और गतिमान दस्ता इकाइयों की तैनाती की जाती है।

घ. प्रशिक्षण के माध्यम से फील्ड स्टाफ का क्षमता निर्माण करके वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन हेतु अग्निशमन उपकरणों का प्रावधान भी किया जाता है।

ङ. वनाग्नि प्रबंधन और नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) और पारि-विकास समितियों (ईडीसी) के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

च. संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी किया जाता है।

छ. फील्ड अधिकारियों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए एक वन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

(ख) वनाग्नि के निवारण एवं नियंत्रण में जनता की भागीदारी मुख्य रूप से जेएफएमसी, ईडीसी और वन पंचायतों के माध्यम से होती है।

(ग) और (घ) राज्य वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार आधुनिक अग्निशमन पद्यतियों/उपकरणों को अपना रहा है। फील्ड स्टाफ को वनाग्नि को नियंत्रित करने के आवश्यक उपकरणों से युक्त वर्क किट जैसे उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं।

*****